पत्रांक–डी0डी0–1–विविध–60 / 2025–26 .....10487 (61) भवन

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुरेश प्रसाद प्रभाकर,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांकः– 5/11/26

विषयः– राज्य के व्यवहार न्यायालयों में क्रियान्वित अग्निशमन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने एवं पूर्ण योजनाओं का हस्तांतरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 28.10.2026 को राज्य में केन्द्र प्रायोजित योजना एवं राज्य योजना समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में राज्य के व्यवहार न्यायालयों में क्रियान्वित किये जा रहे Fire fighting कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने एवं पूर्ण योजनाओं का हस्तांतरण के संबंध में अद्यतन स्थिति से विधि विभाग को अवगत कराने हेतु निदेश दिया गया है।

अतः सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया जाता है कि विधि विभाग द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

5/11/26

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

4.11.22

282

सचिव, विधि विभाग, बिहार की अध्यक्षता में केन्द्र प्रायोजित स्कीम एवं राज्य स्कीम का स्कीमवार प्रगति एवं व्यय की समीक्षा हेतु दिनांक–28.10.2026 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति :–

1. विशेष सचिव–सह–अपर विधि परामर्शी, बिहार, पटना।
2. विशेष कार्य पदाधिकारी, विधि विभाग, बिहार, पटना।
3. अपर निदेशक, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
4. महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।
5. उप निदेशक, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सर्वप्रथम उपस्थित सदस्यों के स्वागत से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

बैठक में केन्द्र प्रायोजित स्कीम एवं राज्य स्कीम अन्तर्गत व्यय एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई एवं निम्नांकित निर्णय लिये गए :–

1. केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि रू0–42.40 करोड़ में से सितम्बर माह तक रू0–30.38 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है। शेष रू0–9.30 करोड़ का विपत्र स्वीकृति हेतु भारत सरकार के पास लंबित है, जिसे शीघ्र स्वीकृत कराया जाय, तथा शेष राशि का व्यय की कार्रवाई की जाय।

2. राज्य स्कीम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 का कुल बजट उपबंध में से मात्र 23.03 प्रतिशत व्यय किया गया है, जो बहुत कम है। भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारी को निदेशित किया गया है कि नबम्बर, 2026 के अंत तक कुल बजट उपबंध का 60 प्रतिशत राशि का व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. व्यवहार न्यायालयों में Fire Fighting कार्यो के अधिष्ठापन संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से प्राप्त किया जाय। साथ ही भवन निर्माण विभाग द्वारा सभी कार्यपालक अभियंताओं को Fire Fighting कार्यो को शीघ्र पूरा कराने का निदेश दिया जाय।

4. किसी भी योजना को प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई/रूकावट हो तो विधि विभाग को तुरन्त सूचित किया जाय, ताकि विभाग की तरफ से अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

5. विधि विभागीय योजनाओं का योजनावार अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन विधि विभाग को प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जाय।

6. विभागीय पूर्ण योजनाओं का हस्तांतरण के संबंध में अद्यतन स्थिति से विभाग को शीघ्र अवगत कराया जाय।

7. व्यवहार न्यायालय, पटना के परिसर में बार एसोसियेशन भवन में फर्निचर का कार्य शीघ्र पूरा कराने हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को निदेशित किया गया।

सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

29.10.26

(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–09(सी0एस0एस0)–07–01/2026/ 8964 **/जे0** **पटना, दिनांक** 02.11.26

प्रतिलिपिः– सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक (अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अपर निदेशक, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/10/26

(नीलम कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
विधि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–09(सी0एस0एस0)–07–01/2026/ 8964 **/जे0** **पटना, दिनांक** 02.11.26

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/10/26

(नीलम कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
विधि विभाग, बिहार, पटना।

D:\Prem Prakash\Ajay Ji-1\Upsithi2.doc